राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1815/2013/बीकानेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, वृत्त–ए, बीकानेर। ...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मोना कम्प्यूटर्स, सिटी कोतवाली के पीछे, बीकानेर। ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

अनुपस्थित ....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.02.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त द्वितीय अपील अपीलार्थी–विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 82 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.05.2013 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत–ए, बीकानेर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2012 द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट प्रथम वृत ए बीकानेर द्वारा व्यवहारी फर्म द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2009–10 (01.04.2009 से 31.03.2010) द्वारा चारो तिमाही विक्रय प्रपत्र एवं वेट–10 ए प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 23 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.01.12 द्वारा व्यवहारी फर्म द्वारा प्रथम प्रपत्र 143 दिन एवं द्वितीय प्रपत्र 19 दिन विलम्ब से पेश करने के कारण धारा 58 में शास्ति 50 रू. प्रतिदिन के हिसाब से क्रमशः अधिकतम रू. 5000/– एवं 950/– रू. कुल रू. 5950/– वसूल करने के आदेश दिये गये। व्यवहारी द्वारा इस संबंध में उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर के समक्ष

लगातार 2

अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 10.05.13 द्वारा स्वीकार की जाकर शास्ति रू. 5950/– अपास्त की गई। राज्य पक्ष की ओर से यह द्वितीय अपील उपरोक्त निर्णय दिनांक 10.05.13 के विरूद्व की गई है।

3. अपीलें दर्ज की जाकर रिकार्ड व प्रत्यर्थी को तलब किया गया। प्रत्यर्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। बहस विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक एकपक्षीय सुनी गई।

4. विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में धारा 58 के तहत् दिनांक 08.07.2009 के वित्त अधिनियम द्वारा किये गये संशोधन के अनुक्रम में शास्ति आरोपित की गई है। ये प्रकरण वर्ष 2009–10 से संबंधित हैं तथा कर निर्धारण आदेश उक्त संशोधन के बाद पारित किया गया। अतः शास्ति का आरोपण कर निर्धारण आदेश पारित करने के समय विद्यमान विधिक प्रावधानों के अनुकूल ही किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में उप–राजकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत मायारानी पुंज बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दिल्ली के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को दोहराया जिसके अनुसार विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने का अपराध निरन्तर अपराध (Continuing offence) की श्रेणी में आता है जो विलम्ब (default) होने के साथ यह अपराध शुरू होता है तथा बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत करने तक जारी रहता है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आगे कहा है कि माननीय न्यायालय ने इस निर्णय में यह भी निर्णित किया है कि अवहेलना (default) के समय जो कानून प्रचलित या उसके प्रावधान के अनुसार शास्ति आरोपणीय है। इस प्रकार उप–राजकीय अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा यह अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावलियों का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट प्रथम वृत ए बीकानेर द्वारा व्यवहारी फर्म द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2009–10 (01.04.2009 से 31.03.2010) द्वारा चारो तिमाही विक्रय प्रपत्र एंव वेट–10 ए प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश

लगातार 3

दिनांक 31.01.12 द्वारा व्यवहारी फर्म द्वारा प्रथम प्रपत्र 143 दिन एवं द्वितीय प्रपत्र 19 दिन विलम्ब से पेश करने के कारण धारा 58 में शास्ति 50 रू. प्रतिदिन के हिसाब से क्रमशः अधिकतम रू. 5000/– एवं 950/– रू. कुल रू. 5950/– वसूल करने के आदेश दिये गये है। अपीलीय अधिकारी ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण 2011 के अनुसार वर्ष 2009–10 से संबंधित समस्त रिटर्न एवं देय कर दिनांक 31.03.11 तक जमा होने पर शास्ति एवं ब्याज वेव करने की शर्त की पूर्ति हो जाने के आधार पर शास्ति रू. 5950 की सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किया है। इस संबंध में सम्बन्धित अधिसूचना का उल्लेख करना समीचीन है :–

S.No. 2789A[No.F.16( )Tax/cct/11/241, Dated may 16, 2011

Hon'ble Chief Minister (finance Minister) at para 258 of the Budget Speech 2011712 has announced that : - " वर्तमान में कर निर्धारण प्रक्रिया में विभाग व व्यापारियों का काफी समय लग रहा है। यदि व्यापारी वित्तीय वर्ष 2009–10 की समस्त रिटर्न एवं देय कर दिनांक 31.03.2011 तक जमा करा देते है, तो मैं उन पर आरोपित होने वाली शास्ती एवं ब्याज माफ किये जाने की घोषणा करता हूँ। ऐसा करने से 2 लाख से अधिक व्यापारियों के कर निर्धारण डीम्ड होंगें एवं उन्हें असेसमेन्ट के लिये कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा।"

चूंकि राज्य सरकार द्वारा व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2009–10 की रिटर्न एवं देय कर दिनांक 31.03.2011 तक जमा करा देने पर आरोपित होने वाली शास्ति एवं ब्याज माफ किये जाने का प्रावधान किया गया है। व्यवहारी द्वारा इस अवधि से पूर्व रिटर्न प्रस्तुत कर दी गयी थी व देय कर भी जमा करवा दिया था। इस प्रकार वर्ष 2009–10 की रिटर्न व देय कर के संबंध में शास्ति एवं ब्याज में छूट देय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य